न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. प्रकाशचन्द दवे पुत्र स्वर्गीय अचलेश्वरजी, जाति-ब्राहमण, निवासी- गोल, तहसील व जिला- सिरोही
2. जगदीशचन्द दवे पुत्र श्री महेन्द्र कुमार दवे, जाति-ब्राह्मण, निवासी- गोल, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 07/2021

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रकाज प्रजापत, अप्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 07 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी पक्ष की ओर से यह निगरानी आवेदन अप्रार्थी के विरुद्ध ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.2.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत उपस्थित हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी, जाति- ब्राह्मण, निवासी- गोल की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण ने इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निगरानी आवेदन के पद संख्या 1 से 8 में अंकित कथनों को अस्वीकार किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम गोल, तहसील व जिला- सिरोही में वार्ड संख्या 4 में प्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री अचलेश्वरजी पुत्र खीमजी, जाति- ब्राह्मण, निवासी-गोल के कब्जा शुदा भूखण्ड सोपाराम की भूमि के सामने स्थित है जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में आम रास्ता आया हुआ है एव इस कब्जा शुदा भूखण्ड का कुल नाप 4968 वर्गफीट है। उक्त वर्णित चतुर्दशी व नाप वाले त्रिकोण [illegible] मकान बना हुआ था जो जर्जर अवस्था में होने से उसे गिरा कर [illegible] बाउण्ड्री से कब्जा किया हुआ है और उससे पूर्व ब्राह्मण [illegible] पुत्र खीमजी

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ब्राह्मण, निवासी- गोल को सुपर्द किया था। उक्त पुराने कब्जेशुदा त्रिकोण नाप वाले भूखण्ड पर परकोटा निकालने हेतु नियमानुसार अनुमति भी ग्राम पंचायत से वर्ष 1978 में ली थी एवं पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया था जिसकी रसीद इस निगरानी के साथ में प्रस्तुत की है। उसके बाद पुनः निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 06.2.2004 को पंचायत में किया था जिसकी प्राप्ति रसीद दिनांक 23.2.2004 की निगरानी आवेदन के साथ में पेश की है। मौके पर तत्कालीन सरपंच व वार्ड पंचों की उपस्थिति में नक्शा मौका भी बनवाया गया था एवं पट्टे की कार्यवाही करने हेतु आवेदन किया था। इस प्रकार, प्रार्थीगण का अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी ब्राह्मण, निवासी- गोल के जरिये उक्त भूखण्ड पर वर्ष 1978 से कब्जा व भोगवटा है और उक्त भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन भी किया है जिसकी जानकारी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोल को है। यह कि वार्ड संख्या 4 के सरपंच श्री मांगीलाल मीणा ने पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण प्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री अचलेश्वर जी पुत्री खीमजी ब्राह्मण, निवासी- गोल से पट्टा बनवाने हेतु रकम की मांग की जो नही दिये जाने पर वार्ड पंच श्री मांगीलाल ने चुनावी रंजिशवश प्रार्थी पक्ष को परेशान व हैरान करने की नियत से दिनांक 20.2.2020 को प्रस्ताव संख्या 7 पारित करवाकर प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूखण्ड से कब्जा हटवाने का निर्णय पारित करवाया है और उक्त प्रस्ताव में महेन्द्र कुमार पुत्र अचलेश्वर जी द्वारा भूखण्ड पर कब्जा किये जाने पर उस पर से हटाने हेतु कार्यवाही करने का प्रस्ताव लिया गया है और उक्त प्रस्ताव में महेन्द्र कुमार पुत्र अचलेश्वर जी द्वारा भूखण्ड पर कब्जा किये जाने पर उस पर से कब्जा हटाने का निर्णय लेकर महेन्द्र कुमार पुत्र अचलेश्वर जी के नाम से नोटिस जारी किया गया। यह कि ग्राम पंचायत, गोल द्वारा महेन्द्र कुमार पुत्र अचलेश्वर जी के नाम से दिनांक 12.3.2020 व 20.3.2020 को नोटिस जारी किये गये जिसका जवाब महेन्द्र कुमार पुत्र अचलेश्वर जी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17.4.2020 को जवाब प्रेषित करवाया कि उक्त भूखण्ड पर न तो मेरा कब्जा है और न ही मैने अतिक्रमण कर कब्जा किया है और जवाब में यह भी बताया गया कि उक्त भूखण्ड पर अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी का कब्जा व भोगवटा है एवं महेन्द्र कुमार उमाशंकरजी के गोद गया हुआ है। यह कि उक्त भूखण्ड पर श्री अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी, जाति- ब्राह्मण, निवासी- गोल के पुराने कब्जे भेगवटे का है जिसका उक्त श्री अचलेश्वर जी द्वारा अपने जीवनकाल में आवासीय उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है एवं अचलेश्वर जी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड का अवासीय उपयोग किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.2.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही किया है तथा नही ग्राम पंचायत, गोल में उक्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी पक्ष का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर [illegible] एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] पंचायत, गोल

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.2.2020 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर महेन्द्र भाई / अचलेश्वर जी ब्राह्मण द्वारा वार्ड संख्या 4 में सोपाराम कुम्हार के सामने पंचायत की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.2.2020 के अनुसरण में ग्राम पंचायत, गोल द्वारा श्री महेन्द्र भाई पुत्र अचलेश्वर जी ब्राह्मण, निवासी- गोल को नोटिस क्रमांक: 137 दिनांक 12.3.2020 जारी कर उक्त भूमि पर कब्जे के संबंध में ठोस दस्तावेज ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पुन: नोटिस क्रमांक: 141/2019-2020 दिनांक 20.3.2020 को श्री महेन्द्र भाई पुत्र अचलेश्वर जी ब्राह्मण, निवासी- गोल को जारी कर अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया है।

इस संबंध में प्रार्थी पक्ष का मुख्यत: कथन यह है कि ''उक्त भूखण्ड श्री अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी, जाति- ब्राह्मण, निवासी- गोल के पुराने कब्जे का है।'' लेकिन प्रार्थी पक्ष ने अपने उक्त कथन के समर्थन में ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत भूखण्ड श्री अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी, जाति- ब्राह्मण, निवासी- गोल के पुराने कब्जे का हो। यदि उक्त भूखण्ड पर श्री अचलेश्वर जी पुत्र खीमजी, जाति- ब्राह्मण, निवासी- गोल का पुराना कब्जा है तो उनको ग्राम पंचायत, गोल में अपना पक्ष एवं भूखण्ड पर पुराने कब्जे के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिये थे, लेकिन उनके द्वारा ग्राम पंचायत, गोल के समक्ष अपना पक्ष व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:40 IST
Reason: SelfAttested